

(2007) 4 एस.सी.आर. 373

राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान

बनाम

आयुक्त, व्यापार कर, उ.प्र.

22 मार्च, 2007

(डाॅ. अरिजीत पसायत एवं लोकेश्वर सिंह पंत, जे.जे.)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948: धारा 11- पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत - प्रयाेग - विस्तार - अभिनिर्धारित, केवल तभी किया जा सकता है जब विधि का प्रश्न उत्पन्न हुआ हाे।

कर निर्धारिती- अपीलार्थी ने उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के तहत अधिकरण के समक्ष निर्धारण प्राधिकारी के निकाली गई माँग को सफलतापूर्वक चुनौती दी। विभाग के द्वारा धारा 11, उपरोक्त अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन किया, जिसे अनुमत किया गया।

इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील में, कर निर्धारिती द्वारा तर्क दिया गया, कि विधि का कोई प्रश्न बनाये बिना, अधिनियम की धारा 11 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना अनुमत नहीं है।

प्रत्यर्थी ने तर्क दिया, कि यद्यपि प्रश्नों को विशिष्ट रूप से दर्शाया नहीं गया है, निर्धारण के लिए आधारभूत विवाद्यों का संज्ञान लिया गया एवं आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

अपील का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने -

अभिनिर्धारित किया - उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्द किया एवं प्रकरण को उच्च न्यायालय का प्रतिप्रेषित किया ताकि विधि का प्रश्न, यदि कोई है, जो कि प्रकरण के तथ्यों के आधार पर उत्पन्न हो, को बनाया जा सके। यदि विधि का प्रश्न उत्पन्न हो, केवल तब ही पुनरीक्षण क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग किया जा सकता है। [अनुच्छेद 9] [337-जी]

आयुक्त, बिक्री कर, यू.पी बनाम कुमाऊं ट्रेक्टर्स एंड मोटर्स, [2002] 9 एस.सी.सी 379; आयुक्त बिक्री कर, यू.पी बनाम मैसर्स मोहन ब्रिकफील्ड, आगरा [2006] 2 स्केल 17, पर अवलम्ब लिया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 1538 वर्ष 2007

इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय व आदेश दिनांक 20.05.2005 जो कि व्यापार कर पुनरीक्षण याचिका संख्या 1234 एवं 1304 वर्ष 1997 से

मनाेज गोयल, शुवोदीप राॅय, डब्ल्यु. शफीक, गोपाल वर्मा एवं
बृजभूषण अपीलार्थी की ओर से।

विमला सिन्हा एवं कमलेन्द्र मिश्रा प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय निम्न के द्वारा दिया गया -

डाॅ. अरिजीत पसायत, जे.

1 अनुमति दी गयी।

2. इन अपीलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित
आदेश को चुनौती दी गयी, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी, आयुक्त बिक्री कर, उत्तर
प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत की गयी कुछ पुनरीक्षण याचिकाओं का निस्तारण
किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (संक्षेप में
अधिनियम) के तहत दायर की गयी।

3. तथ्यात्मक स्थिति, जो कि लगभग निर्विवादित है, निम्नानुसार है :

दो पुनरीक्षण याचिकाएँ अन्तर्गत धारा 11 अन्तर्गत अधिनियम की
उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें व्यापार कर
अधिकरण, आगरा (संक्षेप में अधिकरण) के द्वारा पारित सामान्य आदेश
दिनांक 28 मई, 1997 की शुद्धता को प्रश्न चिन्हित किया गया था।

पक्षकारों के मध्य विवाद अधिनियम एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (संक्षेप में केन्द्रीय अधिनियम) के तहत मूल्यांकन वर्ष 1987-88 के लिए आकलन से सम्बन्धित था। दिनांक 17.09.1993 के मूल्यांकन आदेश के द्वारा कर की मांग उठायी गयी थी। इस कर की मांग को सहायक आयुक्त (न्यायिक) द्वितीय, व्यापार कर, आगरा के समक्ष चुनौती दी गयी थी, जिन्होंने मामले को पुनः कर मूल्यांकन हेतु कर निर्धारिती अधिकारी को प्रति-प्रेषित किया था। अपीलार्थी, (जिसे आगे 'निर्धारिती के नाम से सम्बोधित किया गया है) ने अधिकरण के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की थी। अपीलें स्वीकार की गयीं और दिनांक 22.07.1996 का प्रथम अपीलीय आदेशो को निरस्त किया गया। जैसा कि उपर उल्लेखित किया गया है, अधिनियम की धारा 11 के तहत विभाग ने दो पुनरीक्षण याचिकाएं उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की थी। आक्षेपित आदेश दिनांक 20.05.2005 के द्वारा पुनरीक्षण याचिकाएं स्वीकार की गयीं और अधिकरण के आदेश को निरस्त किया गया एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को बहाल किया गया।

4. हालांकि अपीलों के समर्थन में कई बिन्दु उठाए गये थे लेकिन मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया था कि विधि के किसी प्रश्न को बनाये बिना, अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया जा सकता था।

5. प्रत्यर्थी ने तर्क दिया, कि यद्यपि प्रश्नों को विशिष्ट रूप से दर्शाया नहीं गया है, निर्धारण के लिए आधारभूत विवाद्यकाओं का संज्ञान लिया गया एवं आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

6. हम सबसे पहले पुनरीक्षण याचिका की सुनवायी के सम्बन्ध उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर विचार करेंगे। अधिनियम की धारा 11 इस प्रकार है :

“11. उच्च न्यायालय द्वारा विशेष मामलो में संशोधन – (1) कोई भी व्यक्ति, जो कि धारा 10 की उप-धारा (4) या उप- धारा (5) के तहत किये गये आदेश से व्यथित है, अलावा जबकि उक्त धारा की उप-धारा (2) के तहत अपील का निस्तारण संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत किया गया है या धारा 22 के तहत अधिकरण के द्वारा आदेश पारित किया गया है, ऐसे आदेश के प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर, उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे आदेश के पुनरीक्षण हेतु आवेदन इस आधार पर कर सकेगा कि प्रकरण में विधि का प्रश्न सम्मिलित है।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकरण अथवा अतिरिक्त पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा ऐसे इन्कार के पारित आदेश, जिसमें इस धारा के तहत प्रकरण को सुनवायी हेतु लेने से इन्कार किया है, से व्यथित व्यक्ति, जैसा कि यह 27 अप्रैल, 1978 से ठीक पहले था, जिसे इसके बाद उक्त तिथि के रूप में सन्दर्भित किया गया है, जहां उप-धारा (4) के तहत उच्च न्यायालय में आवेदन

करने की परिसीमा अवधि, जैसा कि उक्त तिथि से तुरन्त पहले, समाप्त नहीं हुई हो, उक्त तरीके से उक्त तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) जहां उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के तहत एक आवेदन, जैसा कि वे उक्त तिथि के तुरन्त पहले प्रस्तुत था, को पुनरीक्षण प्राधिकरण या एक अतिरिक्त पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उप-धारा (01) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिवस की अवधि निर्देश याचिका प्रस्तुत करने के लिए समाप्त हो गयी है, ऐसा आवेदक ऐसे आदेश के पुनरीक्षण हेतु धारा 10 की उप-धारा (2) के तहत, उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त दिनांक से साठ दिनों के भीतर आवेदन इस आधार पर कर सकेगा कि प्रकरण में विधि का प्रश्न सम्मिलित है।

(4) उप-धारा (1) के तहत पुनरीक्षण के लिए आवेदन में स्पष्ट रूप से प्रकरण में सम्मिलित विधि का प्रश्न अंकित किया जाएगा, और उच्च न्यायालय विधि के प्रश्न को निश्चित करने अथवा अन्य किसी विधि के प्रश्न को उठाने के लिए सक्षम होगा।

(5) उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के तहत उच्च न्यायालय को निर्देश देने के लिए प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन, जैसा कि वे उक्त तिथि के तुरन्त पहले, पुनरीक्षण प्राधिकरण या अतिरिक्त पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष लम्बित थे, उच्च न्यायालय को हस्तान्तरित माने जाएंगे। उच्च

न्यायालय के समक्ष ऐसे आवेदन इस प्रकार हस्तान्तरित होने पर तथा उप-धारा (4) के तहत प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन पर जो उक्त तिथि से तुरन्त पहले, उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त तिथि से पहले लम्बित थे, को इस धारा के तहत पुनरीक्षण आवेदन माना जाएगा और तदनुसार निस्तारित किया जाएगा।

(6) जहां उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त तिथि से पहले, पुनरीक्षण प्राधिकरण अथवा अतिरिक्त पुनरीक्षण प्राधिकरण से यह अपेक्षा की थी कि वो प्रकरण अंकित करें एवं उच्च न्यायालय को प्रकरण उप-धारा (4) के तहत निर्देशित करें, जैसा कि उक्त तिथि से तुरन्त पहले था, ऐसा प्राधिकारी, जितना जल्दी हो सके, इस अनुसार निर्देश याचिका प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार भेजी गयी प्रत्येक निर्देश याचिका, और उप-धारा (4) के प्रावधानों के अनुरूप प्राधिकारी के द्वारा उक्त तिथि से पहले उच्च न्यायालय के आदेशों के आनुरूप भेजी गयी निर्देश याचिका, जैसा कि उक्त तिथि से पहले लम्बित थी, को इस धारा के तहत पुनरीक्षण याचिका माना जाएगा और तदनुसार निस्तारित किया जाएगा।

(6 - ए) जहां पुनरीक्षण प्राधिकरण या अतिरिक्त पुनरीक्षण प्राधिकरण ने, उक्त तिथि से पहले, उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के तहत एक आवेदन की अनुमति दी है, जैसा कि उक्त तिथि से तुरन्त पहले था, वे, जितनी जल्दी हो सके, ऐसे प्राधिकारी, उच्च न्यायालय में निर्देश याचिका प्रस्तुत

करेंगे। ऐसी प्रत्येक निर्देश याचिका, और ऐसा प्रत्येक निर्देश याचिका जाे कि प्राधिकारी के द्वारा उक्त तिथि से पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है तथा उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त तिथि को लम्बित है, को इस धारा के तहत पुनरीक्षण याचिका माना जाएगा और तदनुसार निस्तारित किया जाएगा।

(7) जहां इस धारा के तहत कोई आवेदन लम्बित है, उच्च न्यायालय के द्वारा, इस प्रकार का आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे आदेश जिसका पुनरीक्षण चाहा गया है, के तहत, विवादित शुल्क या शास्ति, जो कि देय है या किसी भी शेष राशि का पुनर्भुगतान जो कि लम्बित हो, पर रोक लगा सकेगा :

परन्तु ऐसी विवादित राशि की वसूली पर रोक लगाने का कोई भी आदेश तीस दिवस की अवधि से अधिक प्रभावी नहीं रहेगा जब तक कि आवेदक सम्बन्धित मूल्यांकन प्राधिकारी की सन्तुष्टी अनुरूप पर्याप्त प्रतिभूति प्रदान नहीं करता है।

(8) उच्च न्यायालय, पुनरीक्षण याचिका के पक्षकारों को सुनने के पश्चात, विधि के उस प्रकरण में सम्मिलित प्रश्न को निर्णित करेगा, और जहां ऐसे निर्णय के परिणामस्वरूप कर की राशि, शुल्क या शास्ति की नये सिरे से निर्धारित करने की आवश्यकता है, उच्च न्यायालय अपने निर्णय की प्रति प्राधिकरण को ऐसी राशि के नवीन निर्धारण हेतु भेज सकेगा, तथा उक्त प्राधिकरण तत्पश्चात ऐसा आदेश पारित करेगा, जो कि प्रकरण के

उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में प्रकरण के अन्तिम निस्तारण के लिए आवश्यक हो।

(8 - क) एक ही निर्धारण वर्ष में एक ही वाद कारण से उदभूत सभी पुनरीक्षण याचिकाएं या धारा 10 के तहत अपील में पारित निर्णय को एक साथ सुना जाकर निर्णित किया जाएगा।

परन्तु कि जहां ऐसी किसी एक या अधिक आवेदनों को पहले सुना जाकर निर्णित कर दिया गया है, यदि उच्च न्यायालय, ऐसे शेष आवेदनों की सुनवायी के दौरान, यह पाती है कि पूर्ववर्ति निर्णय शेष याचिकाओं में सहायता प्रदान करने के लिए विधिक बाधा है, वह ऐसे पूर्ववर्ति आदेश को निरस्त कर सकती है तथा तत्पश्चात सभी प्रार्थना पत्रों को एक साथ सुनकर निर्णित कर सकती है।

(9) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 05 के प्रावधान, जहां तक सम्भव हो, इस धारा के तहत प्रत्येक पुनरीक्षण आवेदन पर लागू होगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "काेई भी व्यक्ति" में आयुक्त व राज्य सरकार शामिल है।

7. उक्त प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मानदण्डों को इस न्यायालय के द्वारा *आयुक्त, विक्रय कर, उ.प्र. बनाम कुमाठं ट्रेक्टर्स एण्ड मोटर्स, (2002) 9 एस.सी.सी. 379* में विवेचित किया गया था।

इसमें यह पाया गया अन्य बातों के साथ इस प्रकार से ध्यान में रखा गया था -

"8. X X X X X

ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के द्वारा धारा 11, व्यापार कर अधिनियम के प्रावधानों की उपेक्षा की है। जिसमें प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए केवल विधि के प्रश्न के बिन्दु पर ही सीमित क्षेत्राधिकार दिया गया है, तथा यह क्षेत्राधिकार भी यह वांछा करता है कि विधि का प्रश्न भी स्पष्ट रूप से लिखा जाकर बनाया जाए। विधि के प्रश्न पर निर्णय करने के स्थान पर, उच्च न्यायालय के द्वारा केवल साक्ष्य का पुनः विश्लेषण किया है तथा कर निर्धारिती के द्वारा संधारित एवं प्रस्तुत सारभूत दस्तावेजों की उपेक्षा की गयी है, जो कि, रोकड़ बही, बिल तथा सी प्रपत्र के रूप में न्यायालय में दिये गये थे। प्रकरण में इस प्रकार के तथ्य सामने आने पर आक्षेपित आदेश को पुष्ट नहीं किया जा सकता है।

8. उपरोक्त व्यवहार को इस न्यायालय के द्वारा प्रकरण आयुक्त, विक्रय कर, यु.पी. बनाम मैसर्स मोहन ब्रिकफिल्ड, आगरा, (2006) 2 स्केल 17 में भी पाया गया था।

9. तदनुसार, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को निरस्त करते हैं तथा मामले का उच्च न्यायालय को प्रति-प्रेषित करते हैं ताकि

विधि का प्रश्न, यदि कोई हो, मामले के तथ्यों में उत्पन्न होने वाले कानून के प्रश्न, यदि कोई हो, जो कि प्रकरण के तथ्यों से उत्पन्न हो रहा हो, को बनाया जा सके। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे द्वारा इस बाबत कोई विचार व्यक्त नहीं किया गया है कि विधि का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है अथवा नहीं। केवल यदि विधि का प्रश्न उत्पन्न होता है, केवल तब ही पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।

10. अपीलों का तदनुसार निस्तारण किया जाता है। व्यय के लिए कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

डी जी।

अपीलों का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शिवानी जोहरी भटनागर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।